राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– प्रशि/मस्वाका/प–28/पार्ट–11/2011/2238 दिनांकः– 9/12/11

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर/भीलवाडा/टोंक/नागौर
भरतपुर/करौली/स0मा0/धौलपुर
बीकानेर/गंगानगर/चूरू(मु0 रतनगढ)/हनुमानगढ।
जयपुर–प्रथम/सीकर/अलवर/झुंझुनू/दौसा।
जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/बाडमेर/जैसलमेर।
कोटा/झालावाड/बारां/बून्दी/उदयपुर/बांसवाडा/
डूंगरपुर/चित्तोडगढ/राजसमंद।

विषयः– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु दिनांक **26.12.11** को काउन्सलिंग की जाकर प्रवेश देने बाबत।

सन्दर्भः– पत्रांक प्रशि0/मस्वाका/प.28/पार्ट–11/11/2209 दिनांक 29.11.11 एवं पत्रांक 2211 दिनांक 29.11.11, 2218 दिनांक 2.12.11 तथा 2235 दिनांक 8.12.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस निदेशालय के संदर्भित पत्रों की और आर्कषित कर लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण मे प्रवेश हेतु निर्धारित काउन्सलिंग दिनांक 26.12.11 के लिए आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटो के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार दिनांक 7.12.11 तक बुलावा पत्र आवश्यक रूप से जारी कर दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये थे साथ ही काउन्सलिंग मे बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूचि आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ही जिला कलक्टर, संबंधित संयुक्त निदेशक जोन एवं जिला रोजगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड्स् पर भी चस्पा करते हुये बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण की श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

निदेशालय स्तर से दूरभाष पर जानकारी लेकर की गई समीक्षा के अनुसार प्रतीत होता है कि उक्त निर्देशों की शत प्रतिशत पालना अधिकांश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नही की गई है। यह स्थिति बहुत ही खेदजनक है।

इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही दो दिवस मे पूर्ण कर अनुपालना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को फेक्स न 0141–2222683 पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा इस प्रकरण मे होने वाले किसी भी विलम्ब के लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुये उनके खिलाफ अग्रिम अनुशासनिक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को लिख दिया जावेगा।

पत्र को उच्च प्राथमिकता देवें।

9/12

अतिरिक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांकः– प्रशि/मस्वाका/प–28/पार्ट–11/2011/ दिनांक :–
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

D- \Vijay/ANM Lrtter......